

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
प्रकरण संख्या 54/22 दायरा दिनांक 12.09.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

- 1-भरत पुत्र कुंगरराज उम्र 40 वर्ष जाति किराड निवासी मझारी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2-मुकेश पुत्र कुंगरराज उम्र 36 वर्ष जाति किराड निवासी मझारी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान वादीगण

बनाम

- 1-सुरेश पुत्र गबुआ जाति किराड निवासी मझारी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2-प्रकाश पुत्र गबुआ जाति किराड निवासी मझारी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3-सुरती पुत्री गबुआ पत्नि माना जाति किराड निवासी बमनगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4-सरबदी पुत्री गबुआ पत्नि दौजू जाति किराड निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5-मानो पुत्री गबुआ पत्नि रामू जाति किराड निवासी बमनगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
6-जानकी पुत्री गबुआ पत्नि कल्ला जाति किराड निवासी सहरोलतलेटी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
7-श्रीमति पुत्री गबुआ पत्नि रामसिंह जाति किराड निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
8-राजस्थान राज्य जर्गे तहसीलदार शाहाबाद जिला-बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. 1955

अंतिम निर्णय दिनांक- 17.04.2025


उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2024 से स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 190 की आराजी ख. सं. 542 रकबा 9.04 बीघा ग्राम मझारी तहसील शाहाबाद में से वादी हिस्सा 3/4 का विभाजन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 16.04.2025 को तहसीलदार शाहाबाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया जाकर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1-	भरत मुकेश पुत्र कुंगरराज जाति किराड निवासी मझारी	542	6.18	बोधा	उत्तरी

17.04.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	- रकबा	किस्म	लगान
2-	सुरेश प्रकाश पुत्र सुरती सरवदी मानो जानकी श्रीमति पुत्रियां गबुआ जाति किराड निवासी कस्बानोनेरा	542/1	- 2.06	बीघा	दक्षिणी

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम मझारी तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 542 रकबा 9.04 बीघा में से वादी हिस्सा 3/4 का विभाजन किया जाता है, उपरोक्तानुसार वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। वादी को विभाजित हिस्सा 3/4 पर बाद पैमायश दखल दिया जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।


 17.04.2025
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहावाद

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including the same table and paragraph as above.)